

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 228/2023 (सार 14 सिक्कोरिटाईजेशन)
यूको बैंक, शाखा- चाकसू, जयपुर।

प्राची वित्तीय संस्था

बनाम

1. मिसर्स नीलकंठ एजेन्सीज प्रापराईटर्स श्री महेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चंद अग्रवाल,
पता- मेन मार्केट, गिचला बाजार, चाकसू, जयपुर।

अप्राचीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित -

1. श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्राची ऋणी को दिनांक 27.02.2004 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राची श्री महेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति हाऊस नं. 95, वाई नं. 1, पुराना, न्यू वाई नं. 7, लहरिया की गली, मेन मार्केट, चाकसू, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 33 बर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 01,75,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राची ऋणी द्वारा प्राची वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राची ऋणी को न दिनांक 20.09.2013 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय खात भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का मौलिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्राचीना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राची वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मूलीमति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची बैंक ने अप्राचीगण को कुल राशि 01,75,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राचीगण ने अधरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राचीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से विधमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय खात कुल राशि 05,89,136/- रुपये जमा कराने हेतु अप्राचीगण को दिनांक 20.09.2013 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राचीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राचीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री महेश कुमार अग्रवाल के स्वामित्व की बंधक संपत्ति हाऊस नं. 95, वार्ड नं. 1, पुराना, न्यू वार्ड नं. 7, लहरियों की गली, मेन मार्केट, चाकसू, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 28.02.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

40
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर